

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

परिवाद संख्या 08/2025

राज्य सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी  
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्री निरंजन पाण्ड्या पुत्र श्री रूपचन्द पाण्ड्या (विक्रेता), मैसर्स पाण्ड्या फूड प्रोडक्ट, 39 रामनगर पुलिस चौकी के सामने, थोक तेलियान, रिषभ नगर, अजमेर।
2. सुश्री रीमा पाण्ड्या (प्रोपराईटर), मैसर्स पाण्ड्या फूड प्रोडक्ट, 39 रामनगर पुलिस चौकी के सामने, थोक तेलियान, रिषभ नगर, अजमेर।
3. मैसर्स पाण्ड्या फूड प्रोडक्ट, 39 रामनगर पुलिस चौकी के सामने, थोक तेलियान, रिषभ नगर, अजमेर।

.....अप्रार्थी

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा  
26 की उप धारा (2) (II) एवं धारा 51 के तहत

उपस्थित : अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 की ओर से श्री निरंजन पाण्ड्या

—: आदेश :-

दिनांक— 09.07.2025

शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में कार्यरत अति. जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र में लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर ने अप्रार्थी के विरुद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) मोजरेला चीज का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (II) का उल्लंघन किया है, जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में जुर्माना निर्धारित हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति पदस्थापन आदेश, माल खरीद बिल असल, फार्म नम्बर 5ए असल, फर्द रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 6 असल एवं प्राप्ति रसीद (पुस्त पर) खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा खाद्य नमूना एवं फार्म नम्बर 6 द्वितीय प्रति की प्राप्ति रसीद, अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीन भाग की रसीद व खाद्य विश्लेषक अजमेर की नमूना जाँच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा



न्याय निर्णायक अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

पत्रावली पेश करने बाबत आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 18.03.2024 को 04:30 पीएम पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री सुशील कुमार चोटवानी, मैसर्स पाण्ड्या फूड प्रोडक्ट, 39 रामनगर पुलिस चौकी के सामने, थोक तेलियान, रिषभ नगर, अजमेरपर निरीक्षण हेतु पहुँचे। विक्रेता की हैसियत से श्री निरंजन पाण्ड्या मौके पर उपस्थित मिले। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण के दौरान 20 किग्रा मोजरेला चीज आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ मिला। उक्त मोजरेला चीज की गुणवत्ता का शक होने पर उनमे से नमूना जॉच हेतु 02 किलोग्राम मोजरेला चीज 300/- रूपये श्री निरंजन पाण्ड्या को नगद देकर गवाह श्री अजय कुमार मोयल के समक्ष क्रय करने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नम्बर 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार करके इसकी एक प्रति अप्रार्थी श्री निरंजन पाण्ड्या को सम्भलाकर रसीद प्राप्त की। खरीदशुदा मोजरेला चीज को विक्रेता के सामने चार साफ खुली प्लास्टिक बोतल में भरकर प्रत्येक बोतल में 40-40 बूंद फार्मैलीन की डालकर प्रत्येक बोतल पर लेबल लगाये। चारों नमूनों को भूरे कागज में लपेट कर एवं गोन्द से चिपकाने के पश्चात लेबल पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर के हस्ताक्षरशुदा स्लिप नम्बर ए-4207 चिपकाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद लिये गये नमूनों को अपने जाप्ते मे लेने के पश्चात् कार्यालय पहुँचकर फार्म नम्बर 6 की 6 प्रतियां तैयार करने एवं सील किये गये नमूने मे से एक नमूना फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर, खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, अजमेर को स्वयं जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म नम्बर 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, अजमेर को स्वयं जमा कराकर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना मय फार्म 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डीओ एवं मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर को स्वयं ने जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद मे यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी अजमेर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2024/2087 दिनांक 05.04.2024 अनुसार खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एलएस/267/एक्ट/2024/295 दिनांक 01.04.2024 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते जॉच विक्रय किया गया मोजरेला चीज अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) होना पाया गया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद इस न्यायालय मे दिनांक 17.03.2025 को प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 17.03.2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी श्री निरंजन पाण्ड्या व अन्य को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 30.04.2025 को कार्यालय हाजा मे स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया।

नियत पेशी दिनांक 09.07.2025 को अप्रार्थीगर्ण संख्या 1 से 3 की ओर से श्री निरंजन पाण्ड्या ने उपस्थित होकर लिखित प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया। अप्रार्थी ने अपने लिखित प्रत्युत्तर में निवेदन किया कि उसके द्वारा मोजरेला चीज किसी अन्य विक्रेता से क्रय किया है तथा इसमें उसका कोई दोष नहीं है। वर्तमान में उसके द्वारा उच्च गुणवत्ता का चीज क्रय कर उपयोग में लिया जा रहा है, पूर्व मे जिससे चीज खरीदा जा रहा था, उससे क्रय करना बन्द कर दिया है तथा भविष्य में ऐसी



न्याय निर्णायक अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिता कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

पुनरावृत्ति नहीं होगी, अतः कम से कम जुर्माना लगाया जाकर प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत किये गये लिखित प्रत्युत्तर तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद का अवलोकन किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा वास्ते नमूना जाँच हेतु विक्रय मोजरेला चीज अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) पाया गया है।

अप्रार्थी द्वारा जुर्म कबूल कर लिये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं परिवाद में वर्णित गवाहान को साक्ष्य हेतु बुलाना उचित नहीं समझा गया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजों खाद्य विश्लेषक, अजमेर की जाँच रिपोर्ट के आधार पर विक्रय किया गया मोजरेला चीज अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) होना पाया गया, जिसके लिए अप्रार्थी दोषी प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी श्री निरन्जन पाण्ड्या द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) के तहत अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) खाद्य पदार्थ बेचने का दोषी है। जिसके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। चूकि अप्रार्थी द्वारा प्रथम अपराध कारित किया गया है, अतः न्याय हित में इस चेतावनी के साथ उन्हें हिदायत दी जाती है कि वे भविष्य में इस प्रकार का अपराध पुनः कारित नहीं करेंगे। उपरोक्त प्रावधान को मद्देनजर रखते हुए अप्रार्थी श्री निरन्जन पाण्ड्या को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है क्योंकि प्रार्थी अभियुक्त ने उस पर लगाये गये आरोप को स्वीकार कर भविष्य में इस तरह की गलती की पुनरावृत्ति नहीं किये जाने हेतु आश्वस्त किया है। परन्तु अप्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत अप्रार्थी श्री निरंजन पाण्ड्या को रु. 40,000/- (अक्षरे रूपये चालीस हजार मात्र) शास्ति आरोपित की जाती है।

अप्रार्थी उपरोक्त शास्ति राशि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर के नाम ई ग्रास चालान के माध्यम से निर्णय दिनांक 09.07.2025 के एक माह के अन्दर राजकोष में जमा कराकर रसीद प्राप्त करे।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 09.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फेसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।



(ज्योति ककवानी)

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

क्रमांक :सरिस्ता/अपर/2025/4003-4008 दिनांक : 22/07/2025  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी व स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर।
3. सयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन अजमेर

4. श्री निरंजन पाण्ड्या पुत्र श्री रूपचन्द पाण्ड्या (विक्रेता), मैसर्स पाण्ड्या फूड प्रोडक्ट, 39 रामनगर पुलिस चौकी के सामने, थोक तेलियान, रिषभ नगर, अजमेर।
5. सुश्री रीमा पाण्ड्या (प्रोपराईटर), मैसर्स पाण्ड्या फूड प्रोडक्ट, 39 रामनगर पुलिस चौकी के सामने, थोक तेलियान, रिषभ नगर, अजमेर।
6. मैसर्स पाण्ड्या फूड प्रोडक्ट, 39 रामनगर पुलिस चौकी के सामने, थोक तेलियान, रिषभ नगर, अजमेर।



न्याय निणायक अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर